कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव।

पत्रांकः समग्र शिक्षा/नि0का0/क0स्कूल ग्राण्ट/ 2709-14 /2022–23 दिनांकः 9-5-23

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

विषयः–वर्ष 2023–24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय/ कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय पत्रांकः नि0का0/स0शि0/क0स्कूल ग्राण्ट/ 1082/2023–24 दिनांकः 2504.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्ष वर्ष 2023–24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय/ कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023–24 में विद्यालयों हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के अर्न्तगत नामांकन के आधार पर विद्यालयों को 05 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये विगत् वर्षों की भाँति स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि को निम्न कार्यों को प्राथमिकता पर कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं :–

1. स्वच्छता एवं हैण्डवाशिंग।
2. शुद्ध पेयजल।
3. अन्य आवश्यक कार्य।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त कराये जा सकेंगें।

उल्लेखनीय है कि समय–समय पर अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के सम्बन्ध में निम्नवत् कमिया प्रकाश में आयी हैः–

1. विद्यालय में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की 10 प्रतिशत धनराशि का स्वच्छता पर वास्तविक व्यय न किये जाने से विद्यालय भवन, परिसर एवं छात्रों में साफ–सफाई नहीं पायी गयी, जबकि स्वच्छता पर 10 प्रतिशत व्यय किया जाना अनिवार्य है।
2. विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के उपभोग के सम्बन्ध में कन्ज्यूमेबल एवं नॉन कन्ज्यूमेबल रजिस्टर नहीं बनाये जा रहे हैं।
3. विद्यालय में कन्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि का व्यय–विवरण विद्यालय की दीवार पर पेन्ट कराने के निर्देशो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
4. विद्यालय की रंगाई–पुताई का कार्य मानकानुसार नहीं कराया जा रहा है।
5. विद्यालय में कराये गये कार्यों/क्रय की गयी सामग्री के बिल–बाउचर उपलब्ध नहीं रहते हैं अथवा उपलब्ध कराये गये बिल–बाउचर पर अकिंत दरें बाजार मूल्य से अधिक पायी गयी हैं। इत्यादि।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्ष 2023–24 में विद्यालयों हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के अपभोग के सम्बन्ध में उक्त वरियताक्रम में विद्यालयों की कार्ययोजना तैयार करा ली जायें और साथ ही उच्चाधिकारियों के निरीक्षण में आने वाली कमियों को दूर करने हेतु उपरोक्त व्यवस्था समस्त विद्यालयों उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

(संजय तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव।

पृ0सं0– पत्रांकः समग्र शिक्षा/नि0का0/ /2022–23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, उन्नाव।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उन्नाव।
4. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा उन्नाव।
5. समस्त प्रधान अध्यापक/ प्र0 प्रधान अध्यापक को अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

निपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

महानिदेशक
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

949 ई-मेल द्वारा

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जि0बे0शि0अ0
उन्नाव

पत्रांक: नि0का0/स0शि0/क0स्कूल ग्राण्ट/1082/2023-24 दिनांक: 25 अप्रैल, 2023 27-4-23

विषयः वर्ष 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 में विद्यालयों हेतु **कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट** के अन्तर्गत नामांकन के आधार पर विद्यालयों को 05 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये विगत् वर्षों की भाँति स्वीकृति दी जानी प्रस्तावित है।

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट 2023-24 के अन्तर्गत अवमुक्त की जाने वाली धनराशि से निम्नवत् कार्य प्राथमिकता पर कराये जाने हैं:-

प्रथम वरीयता-स्वच्छता एवं हैण्डवाशिंग

- कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि स्वच्छता अभियान/कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन, परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि, विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा ट्वायलेट क्लीनर, फिनायल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेलकटर, हैण्डवॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्षपर्यन्त आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहे।
- **जिन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुरूप मल्टीपल हैण्डवॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं हो सकी है अथवा जहां मल्टीपल हैण्डवॉशिंग सिस्टम में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुरूप टोटियाँ नहीं स्थापित हैं, वहां मल्टीपल हैण्डवॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था/पर्याप्त टोटियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।** इस व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिये रनिंग वॉटर की सुविधा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी है। विद्यालय के ऐसे शौचालय/मूत्रालय जो छोटी-छोटी मरम्मत/छोटे-छोटे कार्य यथा शौचालय शीट/यूरेनल पॉट में टूट-फूट, leach-pit निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील हैं, उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जायेगा। **यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है, तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाये।**

द्वितीय वरीयता-शुद्ध पेयजल

- हैण्ड पम्प/सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोख्ता-गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा, ताकि हैण्डपम्प के आस-पास जल भराव न हो सके तथा साफ-सफाई रहे।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

- रसोंईघर में भोजन तैयार किये जाने एवं रसोंईघर तथा बर्तनों की साफ–सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी।

अन्य आवश्यक कार्य

- फर्स्ट–एड–बॉक्स हेतु क्रय की गयी सामग्री/दवाईयों की समाप्ति तिथि (expiry date) का अवश्य मिलान करा लिया जाये तथा expired दवायें नष्ट कर दी जायें एवं आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय किया जायेगा।
- विद्यालय में उपलब्ध अग्नि शमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जायेगी।
- विद्यालय के अक्रियाशील विद्युत उपकरण यथा– एल0ई0डी0, ट्यूबलाइट, पंखें, स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जायेगा।
- छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक बुक, पुस्तकालय स्टॉक बुक, अन्य रजिस्टर, वर्ष पर्यन्त आवश्यकतानुसार चॉक एवं डस्टर का क्रय किया जायेगा।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कन्ज्यूमेबल सामग्री तथा इण्टरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है।
- यदि विद्यालय की रंगाई–पुताई गत वर्ष में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से अथवा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत नहीं कराई गयी है तो **वर्षा ऋतु के उपरान्त विद्यालयों की रंगाई–पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चहारदीवारी, गेट के पेन्ट एवं वॉल–पेन्टिंग का कार्य भी आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।** प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एकरूपता लाये जाने के लिये आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग में पुतवाया जायेगा।
- **कक्षा–कक्षों का टाइलीकरण–** ऐसे विद्यालय जिसमें सभी कक्षा–कक्ष की फर्श टूटी–फूटी/क्षतिग्रस्त है और वहाँ रू0 75000/– या उससे अधिक कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि प्राप्त हो रही है वहाँ, प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों यथा–सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमक यंत्र की रीफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना/बदलवाना आदि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है, तो **उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा–कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त कराया जायेगा।**

इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंध समिति से अनुमोदनोपरान्त कराये जा सकेंगें।

उल्लेखनीय है कि समय–समय पर अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के सम्बन्ध में निम्नवत् कमिया प्रकाश में आयी हैं:–

1. विद्यालय में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की 10 प्रतिशत धनराशि का स्वच्छता पर वास्तविक व्यय न किये जाने से विद्यालय भवन, परिसर एवं छात्रों में साफ–सफाई नहीं पायी गयी, जबकि स्वच्छता पर 10 प्रतिशत व्यय किया जाना अनिवार्य है,
2. विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के उपभोग के सम्बन्ध में कन्ज्यूमेबल एवं नॉन कन्ज्यूमेबल रजिटस्टर नहीं बनाये जा रहे हैं,
3. विद्यालय में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि का व्यय–विवरण विद्यालय की दीवार पर पेन्ट कराने के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है,
4. विद्यालय की रंगाई–पुताई का कार्य मानकानुसार नहीं कराया जा रहा है,
5. विद्यालय में कराये गये कार्यों/क्रय की गयी सामग्री के बिल–बाउचर उपलब्ध नहीं रहते है अथवा उपलब्ध कराये गये बिल–बाउचर पर अंकित दरें बाजार मूल्य से अधिक पायी गयी हैं, इत्यादि।

अतः उक्त के दृष्टिगत प्राथमिकता पर निर्धारित कार्यों को कराये जाने के साथ–साथ जनपद स्तर पर उक्त उल्लिखित कमियों को दूर करने हेतु रणनीति बनाते हुए कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि प्राप्त होने से पूर्व समस्त विद्यालयों में पूर्व तैयारी पूर्ण करा ली जाये, जिससे धनराशि प्राप्त होते ही विद्यालयों में आवश्यकतानुसार समय–सीमान्तर्गत कार्यों को पूर्ण कराया जा सके।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।

पृ0सं0: नि0का0/स0शि0/क0स्कूल ग्राण्ट/ 1002 /2023–24 दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।